FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0138   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 04/06/2025 21:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन
      - Date From (दिनांक से): 02/06/2025
      - Date To (दिनांक तक): 03/06/2025
      - Time Period (समय अवधि): पहर
      - Time From (समय से): 11:30 बजे
      - Time To (समय तक): 16:35 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):
      - Date (दिनांक): 04/06/2025
      - Time (समय): 16:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
      - Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002
      - Date & Time (दिनांक एवं समय): 04/06/2025 21:01:04 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 25 किमी   Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

      (b) Address(पता): KASBA KAILA DEVI JILA KAROLI

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GHAMANDI MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BABU MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON KAIMOKHRI NANPUR, SAPOTARA, KARANPUR, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON KAIMOKHRI NANPUR, SAPOTARA, KARANPUR, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEEPAK KUMAR JAIMINI		पिता:NARHARI SHARMA	1. KIRAYA KA KHATUSHYAM MANDIR KE,PASS KAILADEVI,KARAULI,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		17,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 17,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक ACB करौली विषय ट्रेप करवाने के सम्बन्ध में महोदय निवेदन है कि मेरी माता जी श्रीमति कल्लो पत्नि बाबूलाल मीना की खातेदारी भूमि ख.नं. 42 एवं 44 कुल रकबा 0.5641 हैक्टीयर की पत्थरगढ़ी के आदेश श्रीमान SDM साहब सपोटरा ने दिनांक 20.01.2025 को किये नायब तहसीलदार करणपुर द्वारा SDM साहब के आदेश की पालना में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही हेतु एक टीम गठित की जिसमें 5 राजस्व कर्मी है पत्थरगढ़ी की कार्यवाही दिनांक 04.06.2025 को की जावेगी कल दिनांक 01.06.2025 को रात करीब 08.30 पीएम पर मो.नं. [redacted] से मेरे मोबाईल नं. [redacted] पर हमारे पटवारी दीपक कुमार ने फोन कर कहा कि तेरी माता जी की जमीन की दिनांक 04.06.2025 को पत्थरगढ़ी होनी है नायब साहब ने पत्थरगढ़ी करवाने के लिए 30,000 रूपये की कहा है कम करने की कहने पर पटवारी ने 25,000 रूपये देने के बाद ही पत्थरगढ़ी करने के लिए कहा है मैं ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं हमारा पटवारी से कोई लेन-देन बकाया नही है एवं नां ही रंजिश है हस्ताक्षर प्रार्थी घमण्डी मीना 02.06.2025 हस्ता. जगदीश भारद्वाज पु.नि. एसीबी करौली दिनांक 02.06.2025, ह. स्वतंत्र गवाह-पंकज कुमार शर्मा व श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा दिनांक 03.06.2025 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 02.06.2025 को समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री घमण्डी मीना पुत्र बाबू मीना, उम्र 49 वर्ष, जाति मीना, निवासी कैमोखरी नानपुर, तहसील सपोटरा, जिला करौली ने ब्यूरो कार्यालय करौली में उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मय कार्यालय नायब तहसीलदार (भू.अ.) करणपुर, जिला करौली के आदेश क्रमांक एल.आर. 2025/ 29 दिनांक 28.05.2025 एवं अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति के अति. पुलिस अधीक्षक, एसीबी करौली के पदनाम से सम्बोधित कर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक को पेश की। चूकि ब्यूरो चौकी करौली पर अति. पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त होने एवं चौकी चार्ज स्वयं के जिम्मे होने पर उक्त लिखित रिपोर्ट पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यवाही करते हुए परिवादी श्री घमण्डी मीना से उस द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी द्वारा उक्त लिखित रिपोर्ट अपने परिवारजन से बोल-बोल कर लिखवाना बताते हुए रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना व रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होने की ताईद करते हुए बताया कि एसडीएम सपोटरा के निर्णय दिनांक 20.01.2025 द्वारा मेरी माताजी श्रीमति कल्लो पत्नि बाबूलाल की बाके ग्राम गोटा स्थित भूमि खसरा नं. 42 व 44 कुल रकबा 0.5641 की पत्थरगढ़ी के आदेश हुए जिसकी पालना हेतु मेरी माता जी द्वारा नायब तहसीलदार करणपुर को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर नायब तहसीलदार करणपुर द्वारा आदेश क्रमांक-एल.आर./2025/29 दिनांक 28.05.2025 से पत्थरगढ़ी हेतु 5 सदस्यीय राजस्व कार्मिको की टीम गठित की गई है जिसमें श्री सुरेश चन्द कोली आई.एल.आर. करणपुर व श्री विष्णु कुमार सोनी पटवारी करणपुर, श्री दीपक कुमार जैमनी पटवारी महाराजपुरा, श्री भरती बैरवा पटवारी टोडा, श्री विजेन्द्र मीना पटवारी राहिर है। मेरे पटवार हल्का का पटवारी श्री दीपक कुमार जैमनी है, जो स्वयं के लिए और नायब तहसीलदार करणपुर व टीम के नाम से मेरे से पत्थरगढ़ी हेतु रिश्वत की मांग कर रहे है। पटवारी कस्बा कैलादेवी में रहता है। पटवारी रिश्वत के लिए मुझे कैलादेवी बुला रहा है, आज पटवारी जी कैलादेवी में ही मिलेंगे। पटवारी से मेरी रिश्वत मांग के सम्बन्ध में आमने-सामने वार्ता होने पर पूर्व में मांग की गई 25000 रूपये रिश्वत में से कम करने की कहूंगा। मेरी माता जी बुजुर्ग है इसलिए वह कार्यवाही करवाने आपके कार्यालय में नही आ सकती है। जमीन से सम्बन्धित सभी कार्यो को मैं ही करता हूं। जहां उनकी हस्ताक्षरो की आवश्यकता होती है तो उनको अवगत करवाकर उनके हस्ताक्षर करवाकर मेरे द्वारा कार्यवाही करवाई जाती है। यह कार्यवाही भी मैं उनके कहने पर ही करवा रहा हूं। मैं ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरा पटवारी से कोई लेन-देन बकाया नही है एवं नां ही रंजिश है। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने उसी रोज परिवादी को श्री समय सिंह हैड कानि. नं. 45 के हमराह मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड सहित आरोपी श्री दीपक कुमार जैमनी पटवारी के पास कस्वा कैलादेवी रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु समय करीब 02.00 पीएम पर भेजा गया तथा उसी रोज समय करीब 04.40 पीएम पर श्री समय सिंह हैड कानि.45 उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया कि आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर मै और परिवादी कस्बा कैलादेवी में सरकारी स्कूल के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी द्वारा आरोपी पटवारी से मोबाईल से वार्ता की तथा परिवादी के कहने पर मेरे द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित परिवादी

को सुपुर्द कर दिया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति चाय-ठण्डा की दुकान पर आया जिससे परिवादी ने वार्ता की कुछ देर बाद उस व्यक्ति के जाने के बाद परिवादी मेरे पास आया व वॉईस रिकार्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास रख लिया तथा परिवादी ने पूछने पर मुझे बताया कि यह जो व्यक्ति मेरे पास आया था ये ही पटवारी दीपक कुमार जैमनी था जिससे मेरी रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है, जिसे मैने वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। पटवारी श्री दीपक कुमार जैमनी ने स्वयं एवं नायब तहसीलदार व पत्थर गढी टीम के लिए 17000 रूपये की मांग की है और कल रूपये देने के लिए कहा है। परिवादी ने बताया कि मुझे रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है। जिस बाबत आपसे दूरभाष पर वार्ता कर अवगत कराया एवं परिवादी से वार्ता कराई तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी को कल दिनांक 03.06.2025 को समय 10.00 एएम पर आरोपी पटवारी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि का इन्तजाम कर साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूकसत कर दिया तथा मैं सरकारी मोटर साईकिल से डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित कैलादेवी से रवाना होकर आया हूं। इस पर समय करीब 05.00 पी.एम. पर श्री समय सिंह हैड कानि. से जरिये फर्द सुपुर्द शुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित प्राप्त कर कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर वार्ता को स्पीकर के सहयोग से सुना गया तो रिश्वत मांग की पुष्टि हुई, वॉईस रिकार्डर को मैमोरी कार्ड डले सहित मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रख आलमारी को लॉक किया गया इसके बाद दिनांक 03.06.2025 को समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री घमण्डी मीना उपस्थित कार्यालय आया एवं पटवारी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 17000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आने के बारे में बताते हुये बताया कि दिनांक 02.06.2025 को मैं और आपका कर्मचारी समय सिंह अलग-अलग मोटर साईकिलो से आपके कार्यालय से रवाना होकर कस्बा कैलादेवी में सरकारी स्कूल के पास पहुंचे, जहां मैने पटवारी से मोबाईल पर वार्ता की तत्पश्चात आपके कर्मचारी समय सिंह ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित चालू कर अपना परिचय बोलकर मुझे दे दिया, जिसको मै अपने पास रखकर पास की चाय-ठण्डा की दुकान पर पहुंचा, कुछ देर बाद पटवारी दीपक कुमार जैमनी उक्त दुकान पर आया जिससे मैने मेरे काम के सम्बन्ध में बात की तो श्री दीपक कुमार जैमनी पटवारी ने मेरे से स्वयं एवं नायब तहसीलदार व पत्थरगढी हेतु गठित टीम सदस्यो के लिए 17000 रूपये रिश्वत की मांग की और रूपये आज देने के लिए कहा। उक्त बातें मैने आपके कर्मचारी को बताई जो आपके कर्मचारी ने आपसे वार्ता कर आपको बताई तथा मेरी आपसे वार्ता कराई तथा आपके निर्देश पर मुझे कैलादेवी से रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के लिए गांव भेज दिया था, मेरे एवं पटवारी के बीच हुई रिश्वत मांग संबंधी वार्ता को आपको कर्मचारी समय सिंह ने होते देखा था, परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया, इसके बाद श्री श्याम सिंह कानि. नम्बर 599 को तहरीर सहित कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली भेजकर दो गवाह श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक एवं पंकज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति करौली को तलब कर बुलाया जाकर उनसे नाम पते पूछकर दोनो से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त की तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही से अवगत कराया गया तथा परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 को पढ़वाया जाकर प्रमाण स्वरूप उनके हस्ताक्षर मय दिनांक करवाये गये। इसके बाद समय 12.05 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे सोनी कम्पनी के डिजिटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी व आरोपी पटवारी दीपक कुमार जैमनी के मध्य दिनांक 02.06.2025 को हुई रिश्वत मांग संबंधी वार्ता रिकार्ड है को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में अटैच कर टेबल स्पीकर की मदद से रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में सेव फाईल फोल्डर नं. 1 में रिकार्ड वार्ता को प्ले किया जाकर सुना व परिवादी व गवाहान को सुनाया गया एवं रिकार्ड वार्ता में परिवादी से आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा शुद्ध हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया जाकर लेपटॉप की मदद से श्री केशवदेव कानि. 600 से उक्त वार्ता के तीन पैन ड्राईव सेनडिस्क 32 जीबी क्रमश-न्यायालय प्रति, मुल्जिम प्रति एवं आई.ओ. प्रति तैयार करवाया जाकर क्रमशः मार्क ए-1, ए-2, ए-3 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर तीनो को अलग अलग कबरों में रख उन्हें सफेद कपडे की थैलियों में रखकर शील्ड मोहर कर कपड़े की थैली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं आई.ओ. प्रति पैन ड्राईव को कपडे की थैली में अनशील्ड रखा गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन में उपयोग लिये गये मैमोरी कार्ड 32 जीबी सनडिस्क कम्पनी को वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर उसे कवर में रखकर मार्क "ए" अंकित कर सफेद कपड़े की थैली में शील्ड मोहर करवाया गया। उक्त फर्द रूपान्तरण का टंकन श्री विष्णु सिंह कानि. 135 द्वारा मेरे निर्देशन में किया गया। फर्द पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट तथा मुताबिक फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वक्त रिष्वत मांग सत्यापन से आरोपी दीपक कुमार जैमनी पटवारी, पटवार हल्का महाराजपुरा, तहसील सपोटरा जिला करौली द्वारा परिवादी की माता श्रीमति कल्लों की बाके ग्राम गोटा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 42 व 44 कुल रकबा 0.5641 की पत्थरगढ़ी हेतु स्वयं व नायब तहसीलदार एवं गठित टीम के सदस्यों के लिए 17000 रूपयों की रिश्वत की मांग करना तथा रिश्वत राशि लेकर परिवादी को दिनांक 03.06.2025 को बुलाया जाना स्पष्ट पाया गया। इसके बाद शील्ड शुदा पैन ड्राईव मार्क ए-1 मार्क ए-2 एवं मूल मैमोरी कार्ड मार्क ए को मालखाना प्रभारी श्री सुमेर सिंह हैड कानि. 70 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। इसके बाद समय 02.00 पी.एम. पर दो स्वतंत्र गवाहान के सामने मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री घमण्डी मीना ने मांगने

पर आरोपी पटवारी दीपक कुमार जैमनी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि पांच-पांच सौ रूपये के 34 नोट कुल 17000 रूपये अपने पास से निकालकर पेश किये जिनका विवरण फर्द में अंकित कराया जाकर पेशशुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमति ममता शर्मा म.कानि. 273 से कार्यालय आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की डिब्बा निकलवाकर श्रीमति ममता शर्मा म.कानि. से टेबिल के उपर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 17000 रूपये के नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री घमण्डी मीना की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई जिसमें उसके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्रीमति ममता शर्मा मकानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 17000 रूपये के नोट परिवादी श्री घमण्डी मीना के बदन पर पहने हुए पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा रिश्वत राशि देने से पहले व बाद में आरोपी से हाथ नहीं मिलावे एवं आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने गले में से गमछा को ऊतार कर दांए हाथ में लेकर ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहों को यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करने की हिदायत दी गई तथा साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्रीमति ममता शर्मा मकानि.के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर व गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को द्रष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर श्रीमति ममता शर्मा मकानि. से कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्रीमति ममता शर्मा मकानि. से गिलास के धोवन को कार्यालय लेटबाथ में डलवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री घमण्डी मीना तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने-अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये तथा परिवादी को छोडकर सभी की आपस में तलाशी लिवाई गई जिसमें मोबाईल व परिचय पत्र के अलावा कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं दी गई तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच, प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों आदि सामान को सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा साथ ही स्टोर प्रभारी से खाली नये सैंडिस्क 32 जीबी पैनड्राईवों को भी ट्रेप बौक्स में रखवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गये, तत्पश्चात समय 03.10 पी.एम. पर आरोपी पटवारी व परिवादी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर उनमें पूर्व से कोई आवाज आदि रिकार्ड नहीं होना सुनिश्चित कर बाद समझाईस उक्त वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित श्री समय सिंह हैड कानि. नम्बर 45 को कस्वा कैलादेवी पहुंच परिवादी के आरोपी पटवारी के पास जाने से पहले चालू कर बाद परिचय परिवादी को सुपुर्द करने की हिदायत देकर जरिये फर्द सुपुर्द किया गया, इसके बाद समय 03.30 पी.एम. पर ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक-दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया जाकर बाद हिदायत परिवादी को उसके द्वारा लाई हुई मोटरसाईकिल से आगे आगे रवाना कर तथा उसके पीछे पीछे श्री समय सिंह हैड कानि. व राकेश सिंह कानि. को सरकारी मोटर साईकिल न. आरजे 14 एलबी 4230 से रवाना कर तथा उनके पीछे पीछे श्री अजय कुमार एएसआई, मय श्री बृजेश कुमार कानि. 461, श्री श्याम सिंह कानि. 599, श्री विष्णु सिंह कानि. 135 के श्याम सिंह कानि. की निजी कार से रवाना कर उनके पीछे पीछे मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री केशव देव कानि. 600, व श्री सुमेर सिंह हैड कानि. के मय ट्रेप बौक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर, स्पीकर, ट्रेप बॉक्स सरकारी वीडियो कैमरा आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी के मय चालक बृजेश कुमार नम्बर 562 के परिवादी की सूचना अनुसार कैलादेवी के लिये रवाना हुआ तथा कार्यालय में श्रीमति ममता शर्मा मकानि. को बाद हिदायत छोडा गया समय करीब 04.20 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के कस्बा कैलादेवी में स्थित सरकारी विद्यालय

के पास पहुचां जहां पर उपस्थित परिवादी श्री घमण्डी मीना से उसके मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी दीपक कुमार जैमनी पटवारी से उसकी उपस्थिति बाबत उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाई तो आरोपी पटवारी द्वारा 10 मिनट में सरकारी विद्यालय के सामने आने की कहकर परिवादी को उक्त स्थान पर मिलने के लिये कहा गया। जिस पर परिवादी को जरिये समय सिहं हैड कानि. डिजीटल वायस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू करवाकर सुपुर्द कर सरकारी विद्यालय के सामने आरोपी के इंतजार में बाद हिदायत खडा कर उसके आस पास श्री समय सिंह हैड कानि 45 व श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70 को मौका स्थिति अनुसार रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहन, शेष ट्रेप पार्टी सहित परिवादी के आस पास रोड के किनारे वाहनों व मोटरसाईकिल सहित खडे होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ। कुछ समय बाद एक व्यक्ति आसमानी रंग की शर्ट व स्लेटी रंग की पेन्ट पहने अस्थाई बस स्टेण्ड मेला ग्राउण्ड से होकर दीवार फांदकर खडे हुये परिवादी के पास आया परिवादी और वह व्यक्ति आपस में बातचीत करने लगे बातचीत के दौरान परिवादी ने अपने पास से पैसे निकाले और सामने वाले व्यक्ति को दे दिये जिसने अपने दाहिने हाथ में लेकर दोनो हाथों से गिनकर पेन्ट की दाहिनी साईड के जेब में रख लिये तत्पश्चात परिवादी श्री घमण्डी मीना ने समय 04.35 पीएम पर निर्धारित ईशारा गले में पडे गमछा को उतारकर दाहिने हाथ में लेकर किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित परिवादी के पास पहुँचा तथा परिवादी से वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया तथा श्री केशवदेव कानि 600 से कार्यवाही की विडियोग्राफी सरकारी कैमरा में तकनीकी खराबी होने से उसके स्वंय के मोबाईल से प्रारम्भ करवाई तत्पश्चात परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने पास खडे हुये व्यक्ति का नाम दीपक कुमार जैमनी पटवारी होना बताते हुये बताया कि पटवारी जी ने अभी अभी मुझसे अपनी मांग अनुसार पत्थर गढी की एवज में 17000 रुपये रिश्वत में मांग कर लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिने साईड की सामने की जेब में रख लिये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सामने वाले व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम दीपक कुमार जैमनी पुत्र श्री नरहरि शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 42 साल निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली हाल निवास किराये का खाटूश्याम मन्दिर के पास कैलादेवी हाल पटवारी पटवार हल्का महाराजपुरा उप तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली होना बताया जिससे परिवादी श्री घमण्डी मीना से उसकी मां कल्लो की वाके ग्राम गोटा स्थित खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करने की एवज में गठित टीम के सदस्यों के नाम से स्वयं के लिये वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 02.06.2025 को 17000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करने एवं उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 03.06.2025 को परिवादी से प्राप्त की गई 17000 रूपये की रिश्वत राशि को प्राप्त करने का कारण पूछा गया तो आरोपी दीपक कुमार जैमनी पटवारी ने बताया कि पत्थरगढी के लिये मेरे पास नायब तहसीलदार उप तहसील करणपुर का आदेश आया था जिसमें मेरे सहित पांच सदस्यीय टीम पत्थर गढी के लिये गठित थी मुझे गठित टीम सदस्य श्री विष्णु कुमार सोनी पटवारी करणपुर ने फोन कर पार्टी से पत्थर गढी के लिये लेन-देन सम्बन्धी बात करने एवं नायब तहसीलदार को इस घमण्डी मीना के मोबाईल नम्बर देने के लिये कहा था जिस पर मैने इस घमण्डी मीना को फोन कर विष्णु कुमार सोनी पटवारी व नायब तहसीलदार महेश चन्द शर्मा की सन्तुष्टी करने के लिये कहा था पैसे के बारे में नहीं कहा था मैने इस घमण्डी मीना को मिलने के लिये कहा था जिस पर यह कल दिनांक 02.06.2025 को इसी जगह पर मुझे मिला था। इससे मैने नायब तहसीलदार महेशचन्द शर्मा को एवं टीम के सदस्यों को फीस बगैरा देने के लिये कहा था। मेरे द्वारा इससे 17000 रुपये रिश्वत में नहीं मांगे और ना ही आज इससे रिश्वत में प्राप्त किये है। आज अभी अभी मैने इस घमण्डी मीना से जो 17000 रुपये लिये है वह पत्थर गढी हेतु टीम के सदस्यों को बतौर फीस देने हेतु लिये है रिश्वत में नही लिये है। पटवारी को पत्थर गढी की नियमानुसार फीस के बारे मे पूछा तो पटवारी ने पत्थरगढी की नियमानुसार कोई फीस नहीं लगना होना बताया। इसके बाद आरोपी पटवारी द्वारा बताये गये तथ्यों के बारे मे मौके पर उपस्थित परिवादी घमण्डी मीना से पूछा गया तो परिवादी ने दीपक कुमार जैमनी पटवारी के कथनों का झूंठा होना बताते हुये बताया कि- एसडीएम सपोटरा के निर्णय दिनांक 20.01.2025 द्वारा मेरी माताजी श्रीमति कल्लो पत्नि बाबूलाल की वाकेग्राम गोटा स्थित खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं. 42 व 44 कुल रकबा 0.5641 की पत्थरगढ़ी के आदेश हुए जिसकी पालना हेतु मेरी माता जी द्वारा नायब तहसीलदार करणपुर को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर नायब तहसीलदार करणपुर द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर. /2025/29 दिनांक 28.05.2025 से पत्थरगढ़ी हेतु 5 सदस्यीय राजस्व कार्मिको की टीम बनाई गई जिसमे ये स्वयं पटवारी जी व श्री सुरेश चन्द कोली आई.एल.आर. करणपुर व श्री विष्णु कुमार सोनी पटवारी करणपुर,श्री भरती बैरवा पटवारी टोडा, श्री विजेन्द्र मीना पटवारी राहिर है, इन पटवारी जी ने मुझे फोन कर पत्थरगढी करने के लिये गठित टीम को मेहनताना देने के नाम पर 30000 रुपये मांगे तो मेने इतने पेसे देने से इनको मना कर दिया तो इन्होने कहा कि नायब तहसीलदार महेश को पेसे देने है हम सब टीम वाले आपस में बंटवारा करेगे। मैने मना किया तो इन्होने फोन काट दिया उसके बाद शाम को इन पटवारी जी ने वापस मुझे फोन कर कहा कि 25000 रुपये दे देना तो मेने मना कर दिया फिर इन्होने मुझे सुबह मिलने के लिये कहा था, इन पटवारी जी द्वारा मुझ पर रिश्वत देने का दबाब बनाया जा रहा था तो मेने आपसे सम्पर्क कर दिनांक 02.06.2025 को आपके कार्यालय करौली में आपके पास जाकर दीपक कुमार जैमनी पटवारी को

रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने के लिये लिखित शिकायत दी थी जिस पर आपके द्वारा कल दिनांक 02.06.2025 को मुझे अपने कर्मचारी समय सिंह के साथ वाईस रिकॉर्डर सहित इन दीपक कुमार जैमनी पटवारी जी के पास कैलादेवी भेजकर रिश्वत मांग का सत्यापन कराया था तो इन्होने सत्यापन के समय मुझसे मेरी माताजी के नाम की ग्राम गोटा स्थित खातेदारी भूमि की नायब तहसीलदार के आदेश अनुसार पत्थरगढी करने के लिये स्वयं व नायब तहसीलदार एवं गठित टीम के सदस्यों के लिए 17000 रूपयों की रिश्वत की मांग की थी और उसी मांग के अनुसरण में आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा फोन करने पर मुझे सरकारी विद्यालय कैलादेवी के पास मिलने की कहकर थोडी देर बाद उक्त स्थान पर स्वयं मेरे पास आकर इन्होने मांग कर मुझसे 17000 रुपये अपने दांहिने हाथ में लेकर गिरनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ ईशारा कर दिया जिस पर आपने आकर इनको पकड लिया। परिवादी के उक्त कथनों के सम्बन्ध में एक बार पुनः दीपक कुमार जैमनी पटवारी से पूछा गया तो आरोपी पटवारी ने अपने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई सिर्फ पत्थर गढी टीम सदस्य श्री विष्णु कुमार सोनी पटवारी के कहे अनुसार पैसे लेना बताया तथा उसको परिवादी द्वारा गलत फंसाया जाना बताया। इसके बाद आरोपी पटवारी दीपक कुमार जैमनी को विष्णु कुमार पटवारी से मोबाईल फोन पर उक्त के सम्बन्ध में वार्ता करने के लिये कहा तो पटवारी दीपक कुमार जैमनी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से विष्णु कुमार सोनी पटवारी को उसके मोबाईल नम्बर [redacted] को समय करीब 04.43 पीएम पर मिलाकर स्पीकर ऑन कर वार्ता कर पार्टी से पैसे आ जाने के बारे में बताया तो विष्णु कुमार पटवारी ने इस सम्बन्ध में नायब तहसीलदार से ही बात करने के लिये कहा उक्त वार्ता को जरिये समय सिंह हैड कानि वायस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाया गया। इसके बाद आरोपी पटवारी दीपक कुमार जैमनी को परिवादी मे प्राप्त की गई 17000 रुपये की राशि के बारे मे पूछा तो उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट सामने की दाहिनी साईड की जेब मे रखी होना बताया जिस पर गवाह श्री पंकज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से आरोपी पटवारी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब के अन्दर 500-500 रुपये नोटो की छोटी सी मुडी हुई गड्डी व 10-10 व 20-20 रुपये के कुछ नोट व गोल्डमोहर गुटखा पाउच मिले। सर्वप्रथम उक्त गवाह से 500-500 रुपये के नोटों को चैक करवाया तो 500-500 रुपये के 34 नोट कुल 17000 रुपये मिले जिनके नम्बरो का मिलान दोनो गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया तो वही नम्बरी नोट मिले तत्पश्चात 10-10 व 20-20 रुपये के नोटो को चैक करवाया तो कुल 140 रुपये मिले रिश्वती राशि व 140 रुपये व गोल्डमोहर गुटखा पाउच को गवाह पंकज कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाया गया। मौके पर बैठ कर कार्यवाही करने हेतु समुचित व्यवस्था नही होने के फलस्वरुप आरोपी पटवारी दीपक कुमार जैमनी को यथास्थिति में जरिये सरकारी वाहन मय हमराहियान के नजदीकी पुलिस थाना कैलादेवी परिसर में समय 04.55 पीएम पर लेकर आया और थानाधिकारी को हालात अवगत कराते हुये स्वागत कक्ष में आरोपी पटवारी को बिठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी के सामने प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70 से वाहन में से ट्रेप बॉक्स निकलवाकर मंगवाया गया और उनमें थाना परिसर से पानी की बोतल मंगवाकर ट्रेप बॉक्स मे से दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों में गवाह श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक से उसके हाथों को साबुन पानी से साफ कराने के बाद पानी भरवाकर तथा उक्त गवाह से ही उनमें थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी दीपक कुमार जैमनी के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशियों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क- RH1, RH2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी दीपक कुमार जैमनी पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशियों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क LH1, LH2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात गवाह श्री पंकज कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक के पास पूर्व में सुरक्षित रखवाई हुई आरोपी दीपक कुमार जैमनी पटवारी के कब्जे से उसके पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब से मिली रिश्वत राशि 17000 रुपयों को पुनः गवाहन से चेक करवाया जाकर विवरण फर्द बरामदगी में अंकित कराया जाकर बरामद शुदा नम्बरी 500-500 रुपये के 34 नोट कुल राशि 17000 रुपये को पीले कागज के लिफाफे में रखवाकर विवरण लिफाफे के उपर वर्णित कर उक्त लिफाफे को सील्ड मौहर कर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा रिश्वत राशि के साथ मिली राशि 140 रुपये व गुटखा गोल्डमोहर पाउच को आरोपी के परिजनो के उपस्थित होने पर उसके कहे अनुसार वापस लौटाया जाने हेतु सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात आरोपी दीपक

कुमार जैमनी पटवारी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट बंरग स्लेटी को ससम्मान बदन से उतरवाया जाकर थाना स्टाफ के जरिये आरोपी पटवारी के किराये के आवास से अन्य पेन्ट मंगवाकर पहनवाया गया तथा उतारी हुई स्लेटी रंग की पेन्ट की दाहिनी साईड की सामने की जेब के अतिरिक्त अन्य जेबो की तलाशी गवाह से लिवाई गई तो रियलमी मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु रुपया पैसा आदि नहीं मिला, तलाशी में मिले उक्त मोबाईल फोन की प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने तथा आरोपी का कोई परिजन/मिलने वाला उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सुरक्षित रखा गया जो अकब से लौटाया जाकर रसीद प्राप्त की जावेगी तत्पश्चात पूर्व की भांति एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को गवाह राजेन्द्र कुमार शर्मा से ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर साफ पानी से साफ करवाया जाकर उसमें पानी भरवाकर उसमें उक्त गवाह श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी दीपक कुमार जैमनी पटवारी के बदन से उतरवाये हुये सलेटी रंग के पेंट की दांहिनी साईड की सामने वाली जेब को उलटवाकर उक्त गवाह से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सम्बन्धितों ने देखकर धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा डलवाकर शीशीयों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क P1 व P2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात उक्त पेंट की धुलाई हुई दांहिनी साईड की सामने की जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान,परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट बंरग स्लेटी कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर कपडे की थेली पर मार्क P अंकित कर थैली के उपर गवाहान परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर मैमोरी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई जिसकी ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी दीपक कुमार जैमनी पटवारी से परिवादी श्री घमण्डी मीना की माता श्रीमति कल्लो देवी की भूमि से सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो उसने अपने कैलादेवी स्थित किराये के कमरे पर होना बताया एवं पत्थर गढी से सम्बन्धित नायब तहसीलदार करणपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 29 दिनांक 28.05.2025 मूल उपतहसील करणपुर में होना बताया जो अकब से प्राप्त किया जावेगा। इसके बाद परिवादी एवं आरोपी दीपक कुमार जैमनी से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है इस पर दोनों ने ही अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। वक्त कार्यवाही बरामदगी व हाथ आदि धुलाई की विभागीय वीडीयो कैमरा में तकनीकी खराबी के कारण जरिये केशव देव कानि.नम्बर 600 से उसके मोबाईल से कराई गई वीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिव की जावेगी। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नं. 34 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। उक्त कार्यवाही के दौरान तहसीलदार सपोटरा को आरोपी पटवारी का सेवा विवरण भिजवाये जाने बाबत पत्र क्रमांक एसपीएल दिनांक 03.06.2025 जारी कर जरिये व्हाटसएप प्रस्तुत किया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी व स्टाफ के सुमेर सिंह हैड कानि. के हमराह घटना स्थल पहुंच परिवादी की निशादेही पर रोड लाईटो की पर्याप्त रोशनी में घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर वापस थाना कैलादेवी आया तथा समय 07.50 पीएम पर बजह सबूत को थाना कैला देवी पर एसीबी मुलाजमानों की निगरानी में छोडा जाकर मन पुलिस निरीक्षक आरोपी पटवारी दीपक कुमार जैमनी द्वारा परिवादी की माता जी श्रीमती कल्लो देवी की वाके ग्राम गोटा स्थित खातेदारी भूमि से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड कैला देवी खाटू श्यामजी मंदिर के पास स्थित किराये के कमरा पर रखा हुआ होना बताने पर उक्त रिकार्ड को बरामद करने के लिये मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री दीपक कुमार जैमनी पटवारी एवं परिवादी एवं जाप्ता सहित जरिये सरकारी वाहन मय चालक के आरोपी के किराये के कमरे के लिये रवाना होकर समय 08.00 पीएम पर खाटू श्यामजी मंदिर के पास कैलादेवी स्थित किराये का कमरा पर पहुंचा जहां पर आरोपी पटवारी स्वयं के द्वारा परिवादी की माता जी श्रीमती कल्लो देवी की वाके ग्राम गोटा स्थित खातेदारी भूमि से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड निकालकर पेश किये जिन्हे मूल ही हमराह साथ लेकर मय गवाहान, आरोपी, परिवादी एवं जाप्ता के जरिये सरकारी वाहन समय 08.40 पीएम पर रवाना होकर समय 08.40 पी.एम.पर वापस पुलिस थाना कैलादेवी आया, तत्पश्चात समय करीब 08.55 पीएम पर आरोपी दीपक कुमार जैमनी पटवारी को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये, गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा अनुसार उसकी पत्नी को दी गई। इसके बाद 09.30 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री दीपक कुमार जैमनी पटवारी को व जप्त शुदा समस्त बजह सबूत आर्टिकल्स आदि सामान को साथ लेकर मय ट्रेप बौक्स, लेपटोप प्रिंटर, सरकारी बीडियो कैमरा, वॉईस रिकार्डर आदि सामग्री के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों व परिवादी की निजी मोटरसाईकिल व सरकारी मोटरसाईकिल के घटना स्थल पुलिस थाना कस्वा कैलादेवी से रवाना होकर समय 10.10 पी.

एम. पर एसीबी कार्यालय करौली आया जहां पर बजह सबूत आदि को जमा मालखाना जरिये मुख्य आरक्षक सुमेर सिंह करवाया गया तथा गिरफतार शुदा आरोपी पटवारी दीपक कुमार जैमनी को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में रखा गया तथा तहसील सपोटरा से प्राप्त आरोपी पटवारी दीपक कुमार जैमनी का सेवा विवरण बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी दीपक कुमार जैमनी पटवारी को जाप्ता की निगरानी में जिला चिकित्सालय करौली भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण कराकर सुरक्षि की द्रष्टि से पुलिस थाना कोतवाली करौली में बन्द हवालात कराया जाकर सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित में दिनांक 03.06.2025 को आरोपी दीपक कुमार जैमनी पटवारी व परिवादी के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन रूबरू हुई वार्ता तथा पटवारी विष्णु कुमार पटवारी से आरोपी पटवारी की मोबाईल पर हुई वार्ता रिकार्ड है को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में सरकारी लेपटॉप से चलाकर कर उसमें रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण स्वयं मन पुलिस निरीक्षक द्वारा तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री केशवदेव शर्मा कानि. 600 से उक्त रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईवों सैंडिस्क 32 जीबी न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क बी-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क बी-3 में संग्रहित करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईवो को अलग अलग कवरों में रखवाकर उनके उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पैनड्राईव मार्क बी-3 के अलावा पैनड्राईव न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं पैनड्राईव मुलजिम प्रति मार्क बी-2 को अलग अलग कपडे की थैलियों में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल मैमोरी कार्ड सेंडिस्क 32 जीबी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क बी अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-बी अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं संग्रहित पैनड्राईवों की हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये कैशवदेव कानि. 600 सरकारी बीडियो कैमरा में तकनीकी खराबी के कारण उसके मोबाईल फोन में करवाई गई कार्यवाही सबंधी बीडीयोग्राफी को तीन नये खाली पैनड्राईवों में जरिये कानि. केशवदेव शर्मा संग्रहित करवाया जाकर मार्क सी-1 व सी-2 एवं सी-3 अंकित करवाकर पैनड्राईव मार्क-सी-1 व सी-2 को कबरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव मार्क-सी-3 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की नमूना सील नम्बर 34 को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया एवं उक्त नष्ट शुदा नमूनाशील को पृथक से एक कपड़े की थैली में रख सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क-एनएस 34 अंकित कर कार्यालय की बिना नम्बरी सील से शील्ड मोहर किया गया। फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जप्त/सील्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता पैनड्राईव मार्क-बी-1, बी-2, एवं मूल मैमोरी कार्ड मार्क बी एवं बीडीयोग्राफी के सील्ड पैनड्राईव मार्क सी-1 व सी-2 को एचएम मालखाना श्री सुमेर सिंह हैड कानि. 70 को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया, तथा तहसीलदार सपोटरा को परिवादी के किराये के कमरे से बरामद शुदा राजस्व मूल रिकार्ड को उसकी फ़ोटो प्रमाणित प्रति जप्त कर वापस लोटाये हेतु अपना प्रतिनिधि ब्यूरो कार्यालय में शीघ्र भिजवाये जाने हेतु जरिये दूरभाष अवगत कराया गया। इसके बाद जाप्ता को पुलिस थाना कोतवाली करौली भेजकर गिरफतार शुदा अभियुक्त को हवालात से प्राप्त कर कार्यालय में बुलाया जाकर मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया तथा हस्व तलविदा श्री महेश कुमार शर्मा नायब तहसीलदार से आरोपी पटवारी के किराये के आवास से स्वयं आरोपी द्वारा पेश शुदा मूल राजस्व रिकार्ड में से परिवादी की माता कल्लो देवी मीना की खातेदारी भूमि से सम्बन्धित पृष्ठों की प्रमाणित प्रतियां एवं नायब तहसीलदार द्वारा पेश आदेश क्रमांक 29 दिनांक 28.05.2025 की प्रमाणित प्रति को जरिये फर्द जप्ती जप्त किया गया तथा मूल राजस्व रिकार्ड को बाद हिदायत नायव तहसीलदार को लोटाया जाकर कार्यालय से रूखसत किया गया तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी पटवारी की तलाशी में मिली 140 रूपये की नगद राशि गोल्डमौहर गुटखा पाउच एवं आरोपी का मोबाईल फोन रियलमी को आरोपी पटवारी के कहे अनुसार कार्यालय में उपस्थित आई उसकी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी शर्मा को सुपुर्द कर कार्यालय से रूखसत किया गया तत्पश्चात अभियुक्त श्री दीपक कुमार जैमनी पटवारी से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि एवं पैडिंग कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव किया गया तथा दोनो गवाहों एवं परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश विशिष्ट न्यायालय भ्र0 नि0 अधि0 भरतपुर में वास्ते जेसी पेश किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी दीपक कुमार जैमिनी पटवारी पटवार हल्का महाराजपुरा उप तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध

पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी श्री घमण्डी मीना पुत्र श्री बाबू मीना उम्र 49 वर्ष जाति मीना निवासी कैमोखरी नानपुर तहसील सपोटरा जिला करौली से उसकी माता श्रीमति कल्लों पत्नी बाबूलाल की वाके ग्राम गोटा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 42 व 44 कुल रकबा 0.5641 की पत्थरगढ़ी हेतु न्यायालय एसडीएम सपोटरा के निर्णय दिनांक 20.01.2025 के क्रम में नायब तहसीलदार उप तहसील करणपुर द्वारा पत्थरगढी हेतु गठित राजस्व टीम के सदस्यों में स्वयं भी शामिल होने तथा उक्त आदेश के तहत पत्थरगढी संबंधी कार्य को करने के लिये राजस्व टीम सदस्यों व नायव तहसीलदार उप तहसील करणपुर के नाम से स्वयं के लिये 17000 रूपयों की रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुशरण में रिश्वती राशि 17000 रूपये दिनांक 03.06.2025 को परिवादी को कस्वा कैलादेवी स्थित सरकारी विद्यालय के सामने बुलाकर प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 17000 रुपये की राशि उसके कब्जे से उसकी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की सामने की जेब से तथा परिवादी की माता जी के कार्य से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड स्वयं के कब्जे से उसके किराये के कमरे से बरामद होना पाया गया है उक्त मामले में पत्थरगढी हेतु गठित राजस्व टीम के अन्य राजस्व कार्मिकों की संदिग्ध भूमिका बाबत दौराने अनुसंधान जांच की जावेगी। अतः श्री दीपक कुमार जैमिनी पुत्र श्री नरहरि शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 42 साल निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली हाल निवास किराये का खाटूश्याम मन्दिर के पास कैलादेवी हाल पटवारी पटवार हल्का महाराजपुरा उप तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम द्रष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक एसीबी करौली.....................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज पुलिस, निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दीपक कुमार जैमिनी पुत्र श्री नरहरि शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 42 साल निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली हाल निवास किराये का खाटूश्याम मन्दिर के पास कैलादेवी हाल पटवारी पटवार हल्का महाराजपुरा उप तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 643 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 802-05 दिनांक 04.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. जिला कलक्टर करौली ।3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/06/2025 21:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)